तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व ता अहकामजोइस की तामीलमेंजारी
8/5/19	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 27/5/19 को पेश हो।	
27/5/19	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार दि० 10/6/19 को पेश हो।	
10/6/19	वकील फरीकैन उप० बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/6/19 को पेश हो।	
20/6/19	वकील फरीकैन उप० दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
51/16	दावा	27.07.16	25.06.19

सीताराम पुत्र हजारी जाति बैरवा निवासी नारोली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। —वादी

बनाम

1. सुरज्ञान पुत्र मिसरया
2. किशोरी पुत्र हरदेव
3. विस्सों पत्नि किशोरी
4. हरिचरण पुत्र किशोरी
5. रामकन्या पत्नि हरिचरण
6. हल्का पुत्र किशोरी
7. जगनू पुत्र किशोरी
8. भरती पुत्र किशोरी
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

सभी जातिगण बैरवा निवासी नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— श्री शेरसिह वकील वादी।
श्री केशव गोतम वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम मीनापुरा तहसील सपोटरा वादी की सैपरेट खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का लेना देना नही है ना ही कोई तालोकात है ना ही कभी तालोकात रहा है। दिनांक 27.06.2016 को वादी अपनी खातेदारी की आराजी मे तिल्ली की फसल की बुवाई करने के लिए गया तो प्रतिवादीगण हाथों मे लाठी गंडासी लेकर आ गये और आकर कहने लगे कि हम तेरे को इस आराजी को बोने नही देगें। वादी ने हाथ जोड़कर कहा कि यह जमीन मेरी है मेरी खातेदारी की है लेकिन प्रतिवादीगण ने एक नही मानी नाराज होकर फोस गालिया देने लगे तथा एलानिया कहने लगे कि इस जमीन को तो हम लट्ठ के बल पर कब्जा करेगें। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण की कब्जे व आधिपत्य की भूमि खसरा नं0 76/13 का सन् 1956 मे भू प्रबन्ध विभाग ने नवीन खसरा नं0 222 बनाया है जिसमे हम प्रतिवादीगण के कब्जे की उक्त भूमि को ट्रेस सीट के अनुसार खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी है। प्रतिवादीगण अपने पितामह सोन्या पुत्र पून्या के जीवनकाल से साबिक खसरा नं0 76/13 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा का नवीन खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर काफी अर्से से कब्जा काश्त हम प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के पितामह सोन्या के पिता पून्या व वादीगण के पितामह पून्या के नाम मे समानता होने से दर्ज विवादित भूमि का राजस्व कर्मियों से वादी ने साज करके अपने नाम भूमि का गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे करा लिया जो गलत है। प्रतिवादीगण जमीन पर काबिज होकर फसल काश्त का लाभ प्राप्त कर रहे है। दावा वादी खारिज योग्य है चलने योग्य नही है। इसलिए दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अनुतोष सहित किता पंच तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी सीताराम

मीणापुरा सम्वत् 2069–72 प्रदेश 1 पेश की है। प्रतिवादी किशोरी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया किन्तु प्रतिवादी किशोरी अपनी जिरह हेतु उपस्थित नही होने के कारण इसकी जिरह बंद की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। वादी ने रिविटल मे और कोई साक्ष्य पेश नही किये। प्रतिवादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार हैः–

1. **आया वादी मौजा मीनापुरा तहसील सपोटरा मे आराजी खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सं0 2069–72 ग्राम मीणापुरा के अनुसार विवादित आराजी वादी की सेपरेट खातेदारी मे दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. **आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी वादी की सेपरेट खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि मे प्रतिवादी का कोई भी हिस्सा दर्ज नही है, इसलिए प्रतिवादी को वादीगण की उक्त आराजी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मे वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नही होने के समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह साबित हो कि वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नही हो। इसलिए वादी प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।
3. **आया वादी ने राजस्व कर्मियों से सांठ गांठ कर विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम गलत इन्द्राज करा लिया है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी ने किस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम गलत इन्द्राज करा लिया है इसके सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य करवाई है प्रतिवादी किशोरी अपने जिरह हेतु भी हाजिर न्यायालय नही आया है। विवादित आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है, जमाबंदी वाद पत्र मे उपलब्ध है से साबित है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. **आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नही है, इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य मे ना तो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश किये है जिससे यह साबित हो कि वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
5. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी के सेपरेट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रतिवादी का कोई वास्ता नही है। वादी तनकी नं0 1 व 2 को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है जबकि तनकी नं0 3 तथा 4 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिए वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम मीणापुरा तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा मे वादी के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलनदाजी मजामहत नही करे ना ही किसी से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली